रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2014/कार्तिक 27, 1936
No. 269] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2014/KARTIKA 27, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2014

सं. 73 (आर.ई.–2013)/2009–2014

विषयः– प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु प्रक्रिया।

फा. सं. 01/91/180/190/एएम 15/निर्यात सैल.—समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा दिनांक 21.07.2004 की पूर्ववर्ती सार्वजनिक सूचना सं. 72 (आर.ई. 2003)/2002–2007 का अधिक्रमण करते हुए प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित करते हैं:—

(i) किसी उत्पाद को "जैविक उत्पाद" के रूप में निर्यात किए जाने की अनुमति तभी दी जाएगी जब इसके साथ वाणिज्य विभाग के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) द्वारा प्रत्यायित प्रमाणन निकाय से प्राप्त लेन–देन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए।

(ii) निर्यात हेतु "जैविक उत्पादों" को प्रमाणित तभी माना जाएगा जब इनका उत्पाद, प्रसंस्करण और पैकिंग कार्य समय–समय पर यथासंशोधित "राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी)", जो कि एपीडा की वेबसाइट "http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/organic/Organic_Products.htm" पर उपलब्ध है, में निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा।

2. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः**

प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया अधिसूचित कर दी गई हैं। यह सार्वजनिक सूचना पूर्ववर्ती सार्वजनिक सूचना, दिनांक 21.07.2004 के स्थान पर जारी की जा रही है।

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 18th November, 2014

No. 73 (RE-2013)/2009-2014

Sub: Procedure for export of certified organic products.

F. No. 01/91/180/190/AM 15/Export Cell.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-14, as amended from time to time, Director General of Foreign Trade hereby lays down the following procedure for export of certified organic products, in supersession of earlier Public Notice No. 72 (RE-2003)/2002-2007 dated 21.07.2004:

(i) A product will be allowed to be exported as "Organic Product" only when accompanied by a Transaction Certificate issued by a Certification Body accredited by National Accreditation Body (NAB) for Organic Products under the National Programme for Organic Production of the Department of Commerce.

(ii) "Organic Products" for export will be so certified only if Produced, Processed and Packed as per the standards laid down in the document "National Programme for Organic Production (NPOP)", available on the website of APEDA http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/organic/Organic_Products.htm, as amended from time to time.

2. **Effect of this Public Notice:**

Procedure for export of Certified Organic Products has been notified. This supersedes the earlier Public Notice dated 21.07.2004.

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.